सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 145/2018 दायर दिनाँक 10.05.2018

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. नानूराम पुत्र जैसाराम, उम्र–30साल, जाति–मेघवाल, निवासी–पीड़वा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. उगमा पुत्र रामकरण, 2. मदनराम पुत्र किसनाराम, समस्त,जाति–बावरी, निवासी–खाटूखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. खींवाराम पुत्र मालूराम, जाति–मेघवाल, निवासी–मौखमपुरा, तहसील–मकराना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. रामनिवास पुत्र मदनलाल, जाति–बावरी, निवासी–खाटूखर्दु, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. चूँकादेवी पत्नी गुमानाराम, 6. लिछमादेवी पत्नी टीकूराम, 7. सीतादेवी पत्नी सुमरराम, 8. गुमानाराम पुत्र छोगाराम, 9. टीकूराम पुत्र छोगाराम, समस्त,जाति–नायक, निवासी–कोडिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. बबलीदेवी पत्नी प्रकाशराम, 11. तारकीदेवी पत्नी राजूराम, समस्त,जाति–गिवरियाँ, निवासी–खाटूखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 12. पप्पूराम पुत्र शंकरराम, 13. मनोज पुत्र बुधाराम, 14. चिमनाराम पुत्र पूरणाराम, समस्त,जाति–मेघवाल, निवासी–रूँवा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 15. भँवरलाल पुत्र मांगीलाल, 16. कैलाश पुत्र मांगीलाल, 17. सुन्दरी पत्नी मांगीलाल,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 145/2018
दायर दिनाँक 10.05.2018, निर्णय दिनाँक 24.06.2018
नानूराम बनाम् उगमा, वगैरा।

		18. सोहनी पुत्री पेमाराम, 19. छोटुड़ी पुत्री पेमाराम, समस्त,जाति–बावरी, निवासी–खाटूखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 20. शंकरराम पुत्र चुन्नाराम, जाति–मेघवाल, निवासी–कोडिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 21. दयाल गिवारिया पुत्र घेवरराम, निवासी–खाटूखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 22. मुन्नी पुत्री घींसाराम, जाति–खटीक, निवासी–खाटूखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 23. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी व वादी स्वयं।
2. प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 04 ता 14 व 21 उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **24.06.2018**

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, शरहद कोनियाड़ा में खेत खसरा नम्बर 133 रकबा 27.11 बीघा, खेत खसरा नम्बर 132 रकबा 08.05 बीघा व खेत खसरा नम्बर 136 रकबा 34.06 बीघा भूमि अवस्थित है जो कि, वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 145/2018
दायर दिनाँक 10.05.2018, निर्णय दिनाँक 24.06.2018
नानूराम बनाम् उगमा, वगैरा।

प्रार्थना वादी है कि,

शरहद कोनियाड़ा में वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा नजरीनक्शा मुताबिक, निम्नानुसार किया जावे, कि:–

खसरा नम्बर 136 रकबा 34.06 बीघा भूमि में से, रकबा 01.07 बीघा का वादी को व रकबा 01.05 बीघा का प्रतिवादी संख्या 12 को व रकबा 01.05 बीघा का प्रतिवादी संख्या 13 को तथा रकबा 01.05 बीघा का प्रतिवादी संख्या 14 को खातेदारी दी जावे व शेष बदस्तूर रखी जावे।

खेत खसरा नम्बर 132 रकबा 08.05 बीघा व खेत खसरा नम्बर 133 रकबा 27.11 बीघा में से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 14 का नाम हटाया जावे।

वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 23 को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वादी ने वाद के समर्थन में शपथ–पत्र, नजरीनक्शा, नक्शाट्रेश, खसरा नम्बर 132, 136 व 133 की सत्यप्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम कोनियाड़ा सम्वत् 2072–2075 खेवट संख्या 62/52 व 101/92 की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ, पेश किया है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्ट कोर्ट कैम्प–शेरानीआबाद में पत्रावली पेश हुई। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 04 ता 14 व 21 प्रकरण में उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 03, 15 ता

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

20, 22 व 23 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारित किया गया। पक्षकारान् को सुना गया। पक्षकारान् दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 04 ता 14 व 21 ने वाद में राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना, पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। पक्षकारान् की पहचान वकील श्री शरीफ शेरानी ने की है। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

उपर्युक्त पेश राजीनामा पक्षकारान् के मुताबिक, शरहद कोनियाड़ा के खसरा नम्बर 136 रकबा 34.06 में से नजरीनक्शा अनुसार, रकबा 01.07 बीघा का वादी को व रकबा 01.05 बीधा का प्रतिवादी संख्या 12 को व रकबा 01.05 बीघा का प्रतिवादी संख्या 13 को व रकबा 01.05 बीघा का प्रतिवादी संख्या 14 को व रकबा 05.10 बीघा का प्रतिवादी संख्या 10 एवं 11 को व रकबा 12.00 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 09 को व नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में लाल स्याही से दर्शित मार्क "X" भूमि रकबा 0.05 बीघा का प्रतिवादी संख्या 21 को तथा रकबा 11.09 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 03, 15 ता 19 व 20 को खातेदार घोषित किया जावे।

शरहद कोनियाड़ा के खसरा नम्बर 133 रकबा 27.11 में से नजरीनक्शा अनुसार, रकवा 13.09 बीघा का प्रतिवादी संख्या 02 को व रकबा 05.09 बीघा का प्रतिवादी संख्या 04 को व रकबा 08.13 बीघा का

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण संख्या 03, 15 ता 19 एवं 20 को खातेदार घोषित किया जावे।

शरहद कोनियाड़ा के खसरा नम्बर 132 रकबा 08.05 में से नजरीनक्शा अनुसार, रकबा 03.00 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को व रकबा 04.01 बीघा का प्रतिवादी संख्या 02 को व रकबा 0.15 बीघा का प्रतिवादी संख्या 21 को तथा रकबा 0.09 बीघा का प्रतिवादी संख्या 22 को खातेदार घोषित किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व साक्ष्यों का अवलोकन किया। वादी अनुतोष पर मनन् किया तथा राजीनामा पक्षकारान् पर विचार किया। तत्सम्बन्धी विधि का अवलोकन किया।

पक्षकारान् ने राजीनामा पेश कर दिया है व इसी अनुरूप दावा डिक्री करने में अपनी सहमती देते हैं। वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। मजमें आम में वाद के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। मिसल पर उपब्ध अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, राजीनामा पक्षकारान् पर विचार किया जाकर व मजमें आम में प्राप्त जानकारी के अनुसार, वाद वादी, शरहद कोनियाड़ा के वादग्रस्त खसरान् की भूमियों राजीनामा मुताबिक, डिक्री सादिर किया जाना अज अदालत को जायज लगता है।

अतः, वाद विवेचन, वाद वादी राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर, शरहद कोनियाड़ा के वादग्रस्त/वादवर्णित खसरान् की भूमियों का बन्टवारा, "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान, पर नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित/वर्णित मुताबिक, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है, कि:–

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 145/2018
दायर दिनाँक 10.05.2018, निर्णय दिनाँक 24.06.2018
नानूराम बनाम् उगमा, वगैरा।

1. खसरा नम्बर 136 रकबा 34.06 में से, रकबा 01.07 बीघा भूमि का वादी को व रकबा 01.05 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 12 को व रकबा 01.05 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 13 को व रकबा 01.05 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 14 को व रकबा 05.10 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 एवं 11 को व रकबा 12.00 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 09 को व नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में लाल स्याही से दर्शित मार्क "X" भूमि रकबा 0.05 बीघा का प्रतिवादी संख्या 21 को तथा रकबा 11.09 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 03 व 15 ता 19 एवं 20 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. खसरा नम्बर 133 रकबा 27.11 में से, रकबा 13.09 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 को व रकबा 05.09 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 04 को व रकबा 08.13 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 03 व 15 ता 19 एवं 20 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. खसरा नम्बर 132 रकबा 08.05 में से, रकबा 03.00 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को व रकबा 04.01 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 को व रकबा 0.15 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 21 को तथा रकबा 0.09 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 22 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे की खातेदारी की आदेश वर्णित भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न करें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। डिक्री जारी हो।

नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–शेरानीआबाद

निर्णय आज दिनाँक **24.06.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–शेरानीआबाद

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 145/2018 — दायर दिनाँक 10.05.2018

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. नानूराम पुत्र जैसाराम, उम्र–30साल, जाति–मेघवाल, निवासी–पीड़वा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. उगमा पुत्र रामकरण, 2. मदनराम पुत्र किसनाराम, समस्त,जाति–बावरी, निवासी–खाटूखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. खींवाराम पुत्र मालूराम, जाति–मेघवाल, निवासी–मौखमपुरा, तहसील–मकराना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. रामनिवास पुत्र मदनलाल, जाति–बावरी, निवासी–खाटूखर्दु, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. चूँकादेवी पत्नी गुमानाराम, 6. लिछमादेवी पत्नी टीकूराम, 7. सीतादेवी पत्नी सुमरराम, 8. गुमानाराम पुत्र छोगाराम, 9. टीकूराम पुत्र छोगाराम, समस्त,जाति–नायक, निवासी–कोडिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. बबलीदेवी पत्नी प्रकाशराम, 11. तारकीदेवी पत्नी राजूराम, समस्त,जाति–गिवरियाँ, निवासी–खाटूखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 12. पप्पूराम पुत्र शंकरराम, 13. मनोज पुत्र बुधाराम, 14. चिमनाराम पुत्र पूरणाराम, समस्त,जाति–मेघवाल, निवासी–रूँवा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 15. भँवरलाल पुत्र मांगीलाल, 16. कैलाश पुत्र मांगीलाल, 17. सुन्दरी पत्नी मांगीलाल,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		18. सोहनी पुत्री पेमाराम, 19. छोटुड़ी पुत्री पेमाराम, समस्त,जाति–बावरी, निवासी–खाटूखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 20. शंकरराम पुत्र चुन्नाराम, जाति–मेघवाल, निवासी–कोडिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 21. दयाल गिवारिया पुत्र घेवरराम, निवासी–खाटूखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 22. मुन्नी पुत्री घींसाराम, जाति–खटीक, निवासी–खाटूखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 23. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **24.06.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **उपस्थित श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी व वादी स्वयं व प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 04 ता 14 व 21** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर, शरहद कोनियाड़ा के वादग्रस्त/वादवर्णित खसरान् की भूमियों का बन्टवारा, "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान, पर नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित/वर्णित मुताबिक, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है, कि:–

1. खसरा नम्बर 136 रकबा 34.06 में से, रकबा 01.07 बीघा भूमि का वादी को व रकबा 01.05 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 12 को व रकबा 01.05 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 13 को व रकबा 01.05 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 14 को व रकबा 05.10 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 एवं 11 को व रकबा 12.00 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 09 को व नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में लाल स्याही से दर्शित मार्क "X" भूमि रकबा 0.05 बीघा का प्रतिवादी संख्या 21 को तथा रकबा 11.09 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 03 व 15 ता 19 एवं 20 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

2. खसरा नम्बर 133 रकबा 27.11 में से, रकबा 13.09 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 को व रकबा 05.09 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 04 को व रकबा 08.13 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 03 व 15 ता 19 एवं 20 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. खसरा नम्बर 132 रकबा 08.05 में से, रकबा 03.00 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को व रकबा 04.01 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 को व रकबा 0.15 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 21 को तथा रकबा 0.09 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 22 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे की खातेदारी की आदेश वर्णित भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न करें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो।

नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.......... ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **24.06.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–शेरानीआबाद

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–शेरानीआबाद

Scanned by CamScanner